



### **Government of India** Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Director KHAJURAHO MINERALS PRIVATE LTD 10 Civil Line Chhatarpur MP -471001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

4.

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/64502/2020 dated 11 Dec 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No. EC22B001MP164221

2. File No. 6998/2020 3. **Project Type** New

Category

5. Project/Activity including 1(a) Mining of minerals Schedule No.

Pyrophyllite and Diaspore Quarry 6. Name of Project

7. Name of Company/Organization KHAJURAHO MINERALS PRIVATE LTD

votects Madhya Pradesh 8. **Location of Project** 09 Jun 2020 9. **TOR Date** 

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

(e-signed) Shriman Shukla Date: 15/02/2022 **Member Secretary** SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.



संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/64502/2020 - प्रकरण क्र. 6998 / 2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स, प्रा. लि. श्री अजय पाल सिंह परमार आत्मज श्री मंगल सिंह परमार, प्रोपराईटर, 10 सिविल लाईन छतरपुर जिला छतरपुर (प्र.म.) द्वारा पायरोफिलाईट एवं डायोस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पायरोफिलाईट 43113 टन प्रतिवर्ष एवं डायोस्पोर 12576 टन प्रतिवर्ष रकबा 12.00 हेक्टेयर, आर. एफ न. 262, ग्राम माचीगढ, तहसील —जतारा जिला —टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय—समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनंलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/64502/2020 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 19.03.2020) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण पत्र क्र. 2384 दिनांक 08.11. 2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं उक्त लीज फारेस्ट कम्पार्टमेन्ट नं. आर.एफ—260 के अंदर स्थित है जिसकी वन स्वीकृति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 6-MPC028/2019-BHO/376 दिनांक 11.05.2020 से प्रदान की गई है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°55'22.7" से 24°55'39.9" और देशांतर 78°57'14.2" से 78°57'16.0" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 07.04.2021 को शा.मा.शा. परिसर वैदपुर तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 702वीं बैठक दिनांक 28.01.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वीं बैठक दिनांक 07.01.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स, प्रा. लि. श्री अजय पाल सिंह परमार आत्मज श्री मंगल सिंह परमार, प्रोपराईटर, 10 सिविल लाईन छतरपुर जिला छतरपुर (प्र.म.) द्वारा पायरोफिलाईट एवं डायोस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पायरोफिलाईट 43113 टन पर ऐनम, एवं डायोस्पोर 12576 टन पर ऐनम रकबा 12.00 हेक्टेयर, आर. एफ न. 262, ग्राम माचीगढ, तहसील —जतारा जिला

—टीकमगढ (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## अ. विशिष्ट शर्तेः

- 1. म.प्र. खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं. 3–26/2018/12/1 दिनांक 04.07.2018 के अनुसार उक्त खदान को 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमित जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.07.2048 तक मान्य रहेगी।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
- 3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- 4. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
- 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
- 7. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षों में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 18000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।
- 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 11.05.2020 को वन क्षेत्र में खनन हेतु अनापित्त प्राप्त की गई। इस अनापित्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के दिशा निर्देश एवं समन्वय के साथ जिला छतरपुर, तहसील बक्सवाहा, ग्राम कसेरा के खसरा नम्बर 13/1 (गैर वन क्षेत्र) रकबा 12 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण शर्त का परिपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।
- 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—
  - चरनोई क्षेत्र विकास के तहत 6 हेक्टयर में चरागाह विकसित करने हेतु वन मंडलाधिकारी के परामर्श से वास्तविक लागत अनुसार प्रति हेक्टेयर राशि रू. 10000 मान से कुल राशि रू. 60000 वन विभाग मे जमा किया जायें।



- आधारभूत संरचना विकास के तहत वैधपुर से इदयनगर की पहुच सड़क का निर्माण एवं ग्राम वैदपुर में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 02 बोरबेल की व्यवस्था हैण्ड पम्प सहित की जायें।
- ग्राम वैदपुर में बच्चो के लिये खेल मैदान एवं पार्क 04 झूले , 05 बेंच एवं पैदल मार्ग के साथ निर्माण किया जायें।
- अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

- 11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और स्रक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
- 12. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेत् ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेत् पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
- 14. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
- 16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
- 17. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 18. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
- 19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेत् खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
- 20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
- 21. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।
- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।



- 23. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- 24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
- 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथं एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ती की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- 26. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थिगत रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
- 27. खिन पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

# (अ) खनन के पूर्व चरण में :

- 1. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमित म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेत् स्थापित किया जाये।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया किया जाये।
- 3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
- 4. यदि किसी पेड को काटा या उखाड़ा जाना प्रस्तावित है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये।
- 5. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
- 6. हाऊल रोड को नियमित अंतराल पर कॉम्पैक्ट बनाये रखेगा और परिवहन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाय तथा इसे खदान के संचालन से पहले बनाया जाये।
- 7. परियोजना प्रस्तावक संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी / एनओसी प्राप्त की जाये।
- 8. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार रिजेक्ट स्टोन की बिक्री की जायेगी।

## (ब) खनन के परिचालन चरण में :

- 9. कंपन से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान ओवर चार्जिंग ना की जाये।
- 10. खनन पट्टे के उत्तरी दिशा में स्थित मानव बसाहट के दृष्टिगत कंट्रोल्ड एवं मफल ब्लास्टिंग की जाये।
- 11. लोडिंग मशीन की वर्किंग हाइट बेंच कॉन्फिगरेशन के अनुकूल होनी चाहिए।
- 12. सॉलिड कार्ट्रिज की जगह स्लरी मिक्स्ड एक्सप्लोसिव (एस.एम.ई.) का इस्तेमाल किया जाये।
- 13. खदान स्थल पर कोई विस्फोटक नहीं रखा जाये।
- 14. खदान स्थल पर किसी मध्यवर्ती स्टैकिंग की अनुमति नहीं है।



- 15. पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई डंप नहीं लगाया जाये।
- 16. खदान में ओवरहेड स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए जाये।
- 17. पट्टें के सभी भाग की सीमाओं के चारों ओर घने वृक्षारोपण के माध्यम से साइट की कर्टेनिंग की जाएगी। प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना को खनन के साथ—साथ किया जाये और परियोजन प्रस्तावक द्वारा कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के साथ पांच साल तक रखरखाव किया जाये। प्रारंभ में, एक वर्ष में के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु साइट की सीमा पर घना वृक्षारोपण विकसित (तीन पंक्तियों में) किया जाये।
- 18. परियोजना क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वृक्षारोपण में बारहमासी, सदाबहार, घने छावदार, तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के कम से कम 2.5 मीटर लंबे पौधों का उपयोग किया जाये। प्रस्तावित लैंडस्केप प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार, कम से कम 18000 पेड़ बेरियर जोन, बैकफिल्ड एरिया एवं परिवहन मार्ग के किनारे में लगाए जाये।
- 19. खनिज का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाये ।
- 20. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये।
- 21. ओवर बर्डन का उपयोग सड़क के रखरखाव और पुनर्भरण के लिए किया जाये। परियोजना प्रस्तावक आईबीएम से अनुमोदित फाइनल क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्षा के दौरान खदान में अत्यधिक पानी भरने पर निचले क्षेत्रों में गाद के जमाव को रोकने के लिये गारलैंड ड्रेन एवं बन्ड की व्यवस्था सेटलिंग टैंक के साथ खनन सीमा के पास एवं डम्प के चारों ओर किया जाये।
- 23. सभी गारलैंड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाएगा और सेटल हुए पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास के लिए किया जाये। नालों और गड़ुों की नियमित सफाई की जाये।
- 24. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त एवं प्रस्तुत गतिविधियां की जाएंगी तथा इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से किसी भी आवश्यकता के आधार और उचित गतिविधि की जा सकती है।
- 25. परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ताकि खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
- 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाये।
- 27. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतगत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये।
- 28. खनन कार्य के दौरान खदान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, Ear Muufs आदि प्रदान किये जाये।

# (स) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में:

- 29. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 17.10 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु. 9.0 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।
- 30. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा—िनर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।



## ब. मानक शर्ते

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
- 2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
- 3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस—पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
- 4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।
- 5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
- 6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
- 7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।
- 8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।
- 9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।
- 10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।
- 11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।
- 12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू—टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।
- 13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/ गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये. उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।
- 14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।
- 15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/ठोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।



- 16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35⁰ से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफ़िल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।
- 17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
- 18. पौधों की प्रजातियों के चयन सिहत CPCB के दिशा—िनर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी. एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी—बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सिहत वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।
- 19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।
- 20. RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ—साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता—निगरानी (एम्बएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।
- 21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, S02, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।
- 22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता कों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।
- 23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

- 24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाऐ और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जायें।
- 25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- 26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रीत किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।
- 27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमे हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिचित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये। टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हा) की नियमित रूप से निगरानी की जाऐ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- 28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।
- 29. खनन कार्यो से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सिहत श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहितयाती उपायों को समय—समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।
- 30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
- 32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। 33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचााने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।



- 34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।
- 35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यो हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।
- 36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवशयक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।
- 37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।
- 38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।
- 39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- 40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- 41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवशयक होगी।
- 42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत



पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

- 43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।
- 44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
- 45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे / गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।
- 47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।
- 48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सिहत निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय—समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO2, NOx (एम्बएंट स्तर के साथ—साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
- 49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म—v में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव

## प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई—5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016।
- 4. कलेक्टर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

- 5. संभागीय वन अधिकारी, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
- 6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
- 7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016 ।
- 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 9. जिला खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
- 10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक) प्रभारी अधिकारी

